फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

नेमाराम बनाम ग्राम.पंचायत सुरपुरा

किस्म मुकदमा 225 आरटीए **नम्बर...42.../2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.7.18	अभिभाषक अपीलांट श्री नरसाराम जाखड़ व केवियटकर्ता अभिभाषक श्री दिनेश गहलोत उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक केवियटकर्ता को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रति दी गई है। जो बहस हेतु समय चाहते है। पत्रावली वास्ते स्थगन बहस दिनांक 09-07-2018 को पेश हो।	
09.7.18	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषकगणों को स्थगन बहस पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12-07-2018 को पेश हो।	
12.7.18	विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के नाम से रोही मौजा सुरपुरा में खेत खसरा नम्बर 1018 रकबा 4.74 हेक्टर खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस पर अन्य किसी का उक्त भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। ग्राम पंचायत सुरपुरा के द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में जबरदस्ती प्रवेश कर ग्रवल सड़क बनाने की कुचेष्टा की जा रही है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 188 आरटीए के तहत दावा व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19-06-2018 को अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मानते हुए वादगत् भूमि खेत खसरा नम्बर 1018 तादादी 4.74 हेक्टर भूमि के मौके की यथास्थिति आगामी पेशी तक कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 11-07-2018 नियत की गई।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी 11–07–2018 से पूर्व ही दिनांक 02–07–2018 को यह अभिलिखित करते हुए कि ग्रामीणों ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि उनके आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। अतः ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए दिनांक 19–06–2018 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को वेकेट किया जाता है। अदालत मातहत ने उक्त आदेश प्रसारित करने से पूर्व अपीलांट/प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

प्रकरण में जब पत्रावली में दिनांक 11–07–2018 नियत थी तो ऐसी सिथति में केवल मात्र कुछ ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रार्थी के स्थगन को वेकेट किया जाना न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। जबकि अदालत मातहत द्वारा पूर्व में दिनांक 19–06–2018 को अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मानते हुए वादगत् भूमि के बाबत् स्थगन आदेश प्रसारित किया गया था। जब अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में प्रकरण को मानते हुए स्थगन आदेश पारित किया जा चुका था तो उक्त आदेश को तारीख से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना स्थगन आदेश की अवधि आगे नहीं बढ़ाये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये गये। यदि उक्त आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि पर ग्रेवल सड़क का निर्माण किया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट का खातेदारी भूमि है अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधाक संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। रेस्पोडेन्ट को अदालत मातहत द्वारा जारी स्थगन आदेश से कोई आपत्ति है तो वह उनके समक्ष उपस्थित होकर गुणावगुण पर बहस के उपरान्त ही यथोचित आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से उनके द्वारा जारी स्थगन आदेश को वेकेट किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि के मौके की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये जावे।

अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक केवियटकर्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम सुरपुरा के खेतों में आने जाने हेतु यह पुराना कटानी रास्ता सदामत

Scanned by CamScanner

से चला आ रहा है। जो कि वर्तमान में भी चालू रास्ता है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त चालू रास्ते पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया। जबकि उक्त रास्ता मौके पर 100 वर्षो से चला आ रहा है। उक्त रास्ता बंद होने से ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौक पर कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। केवला मात्र पुराने रास्ते को बंद करने व ग्रामवासियों को परेशान करने की नियत मात्र से अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि पर पर लगभग 100 वर्षो से अधिक समय से रास्ता चालू है तथा सभी ग्रामवासी उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग अपने आवागमन हेतु करते आ रहे है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में उक्त रास्ते को बंद किया गया तो ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अदालत मातहत द्वारा इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही पूर्व प्रसारित अस्थाई निषेधाज्ञा को वेकेट किया गया हैं जिससे किसी भी पक्षकार को हानि या नुकसान नहीं होना है। चूंकि प्रकरण ग्राम वासियों के रास्ते से संबंधित है ऐसी स्थिति में यदि वर्षो पुराने रास्ते को बंद किया जाता है कि ग्रामवायिों को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19–06–2018 को वादगत् भूमि ग्राम सुरपुरा तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1018 तादादी 4.74 हेक्टर के मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02–07–2018 को ग्रामवासियों के उपस्थित होने पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को वेकेट किया गया है।

इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11–07–2018 सुनवाई हेतु नियत थी तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को केवल मात्र अप्रार्थी की बहस सुनने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

पश्चात् दिनांक 19–06–2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वेकेट किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपनी आदेशिका में किसी प्रकार की बहस का कोई विवेचन अंकित नहीं किया है।

ऐसी स्थिति में केवल मात्र अप्रार्थी की बहस/कथन पर अस्थाई निषेधाज्ञा को वेकेट जाने के आदेश प्रदान किये है जो न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में पारित आदेश नहीं माना जा सकता।

अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के संबंध में अपनी कोई विवेचना अंकित नहीं करते हुए मात्र सरसरी तौर पर बिना माईन्ड एप्लाई किये वादगत् भूमि के बाबत् जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वेकेट किया गया है।

चूंकि प्रकरण में वादगत् भूमि पर ग्रामवासी जो जरिये अभिभाषक उपस्थित आये है के कथनानुसार व विद्वान अभिभाषक अपीलांट के कथनानुसार कि मौके पर पूर्व में चालू रास्ता कायम होने की हद तक कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उचित पाते है कि चूंकि प्रकरण में रास्ते का विवाद जनहित व सार्वजनिक उपयोग व उपभोग से संबंधित है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर पूर्व में चालू रास्ते को बंद नहीं किया जावे साथ ही आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत व ग्रामवासी वादगत् भूमि पर अन्य कोई निमार्ण कार्य अर्थात ग्रेवल सड़क आदि का निमार्ण नहीं करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विवेचन करते व उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner